न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी श्री जे0एन0मथुरिया आर.ए.एस.

अपील संख्या 1/2018 (223 आर.टी.एक्ट)

आर.सी.एम.एस.नम्बर– 2018/00002

उनवानी :–

1– जयदेव पुत्र रामसरन जाति जाट निवासी ग्राम नगला नाऊ मजरा नगला सीखम तहसील व जिला भरतपुर (राज0)

अपीलांटान––––––––––––

बनाम

1– प्रेमवती पुत्री रामसरन पत्नि गोपालसिंह जाति जाट निवासी ग्राम पला तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर (राज0)

असल रेस्पोडेन्ट––––––––

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री तारीखी 17.10.2014 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भरतपुर मिसिल नम्बर 630/08 उनवानी प्रेमवती बनाम जयदेव

उपस्थितिः–

1– वकील अपीलांट श्री नीरपाल सिंह

2– श्री सोनीराम रैस्पो0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय दिनांक 08.04.2019

यह अपील अपीलार्थी द्वारा इस आशय की पेश की गई है कि आराजी खसरा नम्बर 107/1.07, 106/1.06 किता 2 रकवा 2 बीघा 13 बिस्वा जिनसे हाल सैटिलमैन्ट में नवीन आराजी खसरा नम्बर 109/0.22, 110/0.20 किता 22 रकवा 0.42 है ग्राम नगला सीखम तहसील भरतपुर मे स्थित है जिसे आगे विवादित आराजी कहा गया है । विवादित आराजी बाबत् अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थीगण को तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवाई गई ।

बहस उभयपक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने निवेदन किया कि अपीलार्थी के पिता ने कभी कोई वयनामा प्रत्यर्थी के पक्ष मे नही किया है। और यदि कोई वयनामा प्रत्यर्थी के पास मौजूद है तो वह कूट रचित व फर्जी है। प्रत्यर्थी का कभी भी विवादित आराजी पर कब्जा नही रहा है एवं अपीलार्थी को प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भी खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये है। साथ यह भी निवेदन किया कि प्रत्यर्थी ने अपनी पिता की मृत्यु के पश्चात् अन्य आराजीयात के साथ मे विवादित आराजी का भी हक त्याग कर दिया था। एवं उक्त हक त्याग के

आधार पर भी अपीलार्थी को विवादित आराजी के खातेदारी अधिकार प्राप्त होते है ऐसी दशा मे अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे।

1– 2010(2) आर.आर.टी. पेज संख्या 1036

2– 2015(4) डी.एन.जे (राज) पेज संख्या 1537

3– 2017(2) आर.आर.टी. पेज संख्या 1104

4– 2014(3) डी.एन.जे. (राज) पेज संख्या 1136

5– 2011(2) आर.आर.टी. पेज संख्या 1350

बचाव मे वकील प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि विवादित आराजी अपीलार्थी की कब्जे शुदा आराजी है। जिसे उसने तत्कालीन खातेदार अपने पिता रामसरन से कीमतन खरीद कर कब्जा प्राप्त कर लिया था। चूकि यह पारिवारिक मामला था और अपीलार्थी ने विवादित आराजी का कब्जा प्राप्त कर लिया था लेकिन वयनामे का अमल राजस्व रिकार्ड मे नही हो पाया है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज की जावें।

अपने पक्ष के समर्थन मे वकील अपीलार्थी ने निम्न न्यायिक दृष्ट्रांत पेश किये।

1– 1992 आर.आर.डी. पेज नं0 651

2– 1989 आर.आर.डी. पेज नं0 259

3– 1993 आर.आर.डी. पेज नं0 572

4– 1989 आर.आर.डी. पेज नं0 492(B)

5– 1993 आर.आर.डी. पेज नं0 90(A)

बहस उभयपक्ष एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो के परिपेक्ष्य मे पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय मे अपीलार्थी ने अपने जवाब मे कही भी यह उल्लेख नही किया है कि प्रत्यर्थी ने विवादित आराजी का हक त्याग अपीलार्थी के पक्ष मे किया है। साथ ही हक त्याग केवल उत्तराधिकार मे प्राप्त सम्पत्ति का ही किया जा सकता है। चूकि विवादित आराजी पहले से ही प्रत्यर्थी के जरिये पंजीकृत वयनामा विक्रय की जा चुकी है अतः तथाकथित हक त्याग के आधार पर अपीलार्थी को कोई अधिकार प्राप्त नही होने से अपील अपीलार्थी खारिज किये जाने योग्य प्रकट होती है।

अतः आदेश है कि उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

यह आदे" ा आज दिनांक 08.04.2019 को मेरे द्वारा लिखा या जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर